भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1981
दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

दवा की कीमतों में वृद्धि

1981. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यक दवाओं की कीमतों में 50 प्रतिशत की वृद्धि के क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार की शीर्ष दस जीवन रक्षक दवाओं पर राजसहायता देने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): औषध विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण(एनपीपीए) को विभिन्न औषध विनिर्माण/विपणन कंपनियों और उद्योग संघों से 77 फॉर्मूलेशन के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो उनके फॉर्मुलेशनों के मूल्य में वृद्धि का अनुरोध कर रहे हैं। यह अनुरोध इस आधार पर किया गया था कि उत्पादन की लागत में वृद्धि, सक्रिय औषधीय सामग्री (एपीआई) की लागत में वृद्धि, विनिमय दर में परिवर्तन, कुछ फॉर्मूलेशन को बंद करने के अनुरोध आदि जैसे कारणों से मौजूदा दरों पर इन दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना व्यवहार्य नहीं था। एनपीपीए ने विस्तृत जांच के बाद, उनकी निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 8 दवाओं के 11 फॉर्मूलेशनों की कीमत में वृद्धि को मंजूरी दी ताकि बाजार में इन दवाओं की अनुपलब्धता के कारण जनता को महंगे विकल्पों का चयन करने के लिए मजबूर न होना पड़े।

(ख) और (ग): प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के अंतर्गत लोगों को वहनीय कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। जन औषधि दवाओं की कीमत बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाओं की तुलना में कम से कम 50% और कुछ मामलों में 80% से 90% तक कम होती है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निशुल्क दवा सेवा पहल शुरू की है, जिसके तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में निशुल्क आवश्यक दवाओं के प्रावधान के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की उपचार के लिए किफायती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) पहल के अंतर्गत कुछ अस्पतालों/संस्थानों में स्थापित अमृत फार्मेसी स्टोर के माध्यम से कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर और अन्य बीमारियों के उपचार के लिए, प्रत्यारोपण, सर्जिकल डिस्पोजेबल्स और अन्य उपभोग्य सामग्रियों आदि पर बाजार दरों की तुलना में 50% तक की महत्वपूर्ण छूट पर किफायती दवाएं प्रदान की जाती हैं।

****